संख्याः-04/नौ-5-14-2बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-362/मु0अ0/न0आ0, दिनांक 31.12.2013 तथा पत्र संख्या-डी.बी.-268/एनएएस-4 दिनांक 30.01.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण सम्बन्धी कार्यो के लिये ₹ 346.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष ₹ 173.00 लाख (₹ एक करोड़ तिहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सोपक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	1. जेसीबोस वार्ड में बीएन रोड पर डा0 सूजा राड़ चौराहे से इस्लामियाँ कालेज होते हुए लोधपुरवा तक जल निकासी का कार्य।	29.58	
			2. राजेन्द्रनगर वार्ड में रामराम बैंक चौराहे से बीसी मिश्रा के मकान होते हुए तिराहे तक जल निकासी का कार्य।	3.14	
			3. शंकरपुरवा द्वितीय में बबलू खान के मकान से 272 सीमान्त नगर होते हुए गुप्ता वस्त्रालय तक जल निकासी का कार्य।	7.99	
			4. पेपरमिल वार्ड में तकिया नवनीतराय मार्ग से मेट्रोसिटी गेट संख्या-2 तक जल निकासी का कार्य।	36.55	
			5. पेपरमिल वार्ड में बाबापुरवा से नवनीतराय पार्क तक जल निकासी का कार्य	24.89	
			6. गुरूनानक नगर वार्ड में विष्वेश्वर पार्क से आरसी पाण्डे गुप्ता जी के मकान होते हुए चौरसिया की दुकान के सामने से इण्डियन पब्लिक स्कूल के पास से मुन्ना सिंह के मकान होते हुए प्रेमनगर में रवीन्द्र सिंह गहरवार के मकान से हाईटेंशन लाइन तक जल निकासी का कार्य	14.50	
			7. हिन्दनगर वार्ड में ग्राम-चिल्लावा में तालाब की जल निकासी व्यवस्था हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य	31.46	
			8. राजाबिजलीपासी वार्ड में चरनजीत चौराहे से एसबीआई भाग-ए से विस्तार मोड़ तक भाग-बी से बड़े नाले तक जल निकासी का कार्य।	22.44	
			9. चौक वार्ड में चौक बाजार चरक पैथॉलोजी से नाले तक भूमिगत जल निकासी का कार्य	10.41	

	10. चौक वार्ड में सरकआ नाले पर बने लोहे के जाल का निर्माण एवं नाले से खन्ना के मकान तक भूमिगत जल निकासी का कार्य	9.13	
	11. सहादतगंज वार्ड में वावली चौकी से सहादतगंज कोतवाली तक जल निकासी का कार्य	33.23	
	12. सहादतगंज वार्ड में अशोक बिहार म0स0 356/340/1303 से श्री अरविन्द के मकान तक जल निकासी का कार्य।	17.86	
	13. सहादतगंज वार्ड में आलमनगर रोड हीरो हाण्डा शोरूम से मस्जिद तक जल निकासी का कार्य।	32.51	
	14. कन्हैयामाधोपुर वार्ड में समनान गार्डेन से ट्रांसफार्मर के पास से नदीम किराना स्टोर तक तालाब तक जल निकासी का कार्य।	15.25	
	15. हैदरगंज द्वितीय वार्ड में डिप्टी गांव खेड़ा नाले तक जल निकासी का कार्य।	14.98	
	16. हैदरगंज द्वितीय हिन्द आयल मिल से सुल्तानअहमद के घर तक जल निकासी का कार्य।	7.71	
	17. इस्माइलगंज वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत विमलनगर मुख्य मार्ग से श्री चतुर्वेदी के मकान तक नाला निर्माण कार्य	34.53	
	योग	**346.16**	**173.00**

(₹ एक करोड़ तिहत्तर लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा ₹ 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा ₹ 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31 मार्च, 2014** तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक *" 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई--8-1346/दस-14, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या :-04(1)/नौ-5-14-2बजट/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- मा0 महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:-	04
आवंटन आदेश संख्या:-	001-04-9-5-14-2Budget-2014
अनुदान संख्या:-	37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय) 02 - मल-जल तथा सफाई 191 - नगर निगमों को सहायता 04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय 02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17300000 19750000	17300000 19750000
	योग	वर्तमान प्रगामी	17300000 19750000	17300000 19750000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार

उप सचिव
उमा शंकर सिंह